

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -49/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00104

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. रामचन्द्र आत्मज बेजनाथ

1/1 मोतीलाल आत्मज रामचन्द्र

1/2 मांगीलाल आत्मज रामचन्द्र

1/3 तुलसीराम आत्मज रामचन्द्र

जाति तेली निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत


उपस्थित—

1 परोकार सरकार


निर्णय

दिनांक:- 29/10/2024

- 1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.22 हे०, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । आवंटी अप्रार्थी फौत होने पर नोटिस अप्रार्थी के कायम मुकामान पर तामिल हुए । अप्रार्थी के कायम मुकामान दिनांक 30.11.2016 को उपस्थित हुए किन्तु उसके बाद निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं, ओर ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण को ग्राम उण्डवा तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.22 हे०, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।


जिला कलेक्टर
कोटा

4. हमने पेशेकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 439 रकबा 0.22 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 439 रकबा 0.22 हे0 भूमि आवंटि अप्रार्थी के कब्जे काशत में नहीं पाया जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।


(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा